प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

(2) आवास आयुक्त,
आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।

(3) मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक,
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आवास अनुभाग–3 लखनऊ : दिनांक : 31 जुलाई, 2000

विषय :गंगा नदी तट पर बसे नगरों में किनारे से 200 मीटर तक किसी भी प्रकार की गतिविधियाँ अनुमन्य न किये जाने के प्रतिबन्ध को शिथिल किये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–320/9–आ–3–2000–127 काम्प/99, दिनांक 5 फरवरी,2000 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि गंगा नदी के तट के किनारे 200 मीटर तक लगाये जाने वाले प्रतिबन्धों की पृष्ठभूमि गंगा नदी को प्रदूषण से बचाने की है। दूसरी ओर यह भी तथ्य है कि वाराणसी व हरिद्वार जैसे प्रमुख तीर्थ स्थल गंगा के तट पर हैं और वहाँ गंगा नदी तथा उसके तट पर धार्मिक मान्यताओं से जुड़े हुये मठ एवं आश्रम वहाँ की संस्कृति के अभिन्न अंग हैं। धार्मिक भावनाओं से जुड़े इन भवनों, जो सार्वजनिक सुविधाओं का ही एक भाग है, को पूर्णतः प्रतिबन्धित किया जाना उपयुक्त न होगा परन्तु गंगा नदी को प्रदूषण से बचाने के लिये भी समुचित व्यवस्था आवश्यक होगी।

उपर्युक्त वर्णित स्थिति में शासनादेश दिनांक 5 फरवरी, 2000 द्वारा पूर्व में किये गये शिथिलीकरण के स्थान पर यह निर्णय लिया गया है कि गंगा नदी के किनारे ऐसे स्थानों का जो धार्मिक मान्यताओं से जुड़े हैं, जहाँ का स्वरूप प्रमुखतः तीर्थ है, वहाँ पर मठ, आश्रम, मन्दिर का निर्माण कतिपय शर्तों के अधीन अनुमन्य कर दिया जाय। यह शर्तें निम्नवत होंगी।

(1) भू–आच्छादन 35 प्रतिशत तथा तल क्षेत्र अनुपात (एफ0ए0आर0) 1.5 सार्वजनिक सुविधाओं के अनुरूप ही अनुमन्य हो।

(2) आवेदक को भवन मानचित्र अनुमति के आवेदन के साथ एक योजना प्रस्तुत करनी होगी, जिसमें यह सुनिश्चित हो कि नदी का प्रदूषण नहीं होगा।

(3) ड्रेनेज सीधे नदी में अवमुक्त नहीं किया जायेगा बल्कि अन्य नालों आदि में ले जाने की व्यवस्था करनी होगी।

(4) यदि क्षेत्र में सीवरेज व्यवस्था नहीं है तो निवास स्थान/धर्मशाला आदि इन प्रयोजनों में अनुमन्य नहीं की जायेगी ताकि नदी में मल इत्यादि न जाने पाये।

(5) यह योजना जल निगम/जल संस्थान अथवा विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकार पाये जाने पर नियमानुसार मानचित्र स्वीकृत किया जायेगा।

पूर्व निर्गत शासनादेश दिनांक 5 फरवरी, 2000 इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

भवदीय,
अतुल कुमार गुप्ता
सचिव।

संख्याः 124 सी0एम0 (1)/9–आ–3–2000 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

(1) मुख्य अभियन्ता अभियन्ता, (गंगा) नोडल अधिकारी, उ0 प्र0 जल निगम, लखनऊ।
(2) सचिव, नगर विकास विभाग, उ0 प्र0 शासन।
(3) उपाध्यक्ष, समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,
जावेद एहतेशाम
उपसचिव।